न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 61/2024 बउनवानी मदन मोहन जांगिड बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि0,स0मा0 निवासी राजबाग बांकी माता मंदिर के पीछे शहर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2024/154

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	
19.12.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 24.7.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "राशन कार्ड मे नाम जुडवाने/कटवाने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के संबंध में तीन बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना" जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः ना.तह./राजस्व/2024/1042 दिनांक 19.12.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.7.2024 में चाही गयी सूचना के लिए शुल्क राशि 44/–रू जमा करवाने बाबत अपीलान्ट को जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक 710 दिनांक 6.8.2024 से लिखा गया था,किन्तु अपीलान्ट द्वारा आदिनांक तक शुल्क जमा नही करवाने के कारण अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध नही करवायी गयी है। अपीलान्ट शुल्क जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.7.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना के लिए अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपीलान्ट जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय मे वांछित शुल्क जमा करवाकर चाही गयी सूचनाऐ प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 18:02:01 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner